न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या – 2, किशनगढबास जिला – खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी : जगदीश प्रसाद मीना, आर.जे.एस.
––जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रार्थनापत्र संख्या–56 / 2023 (सीआईएस नं. 135 / 2023)

1. रजनी पत्नी प्रवीण कुमार पुत्री महावीर, उम्र 24 वर्ष निवासी कांकरा तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा।

––प्रार्थी

बनाम्

1. प्रवीण कुमार पुत्र राजपाल उम्र 23 वर्ष निवासी मिलकपुर गुर्जर, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा।

(एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.08.2024)

––अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री बालकृष्ण, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थिया
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

–:आदेश:– **दिनांक: 12.05.2026**

1. प्रार्थीया रजनी की ओर से यह विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्राथी प्रवीण दिनांक 01.09.2023 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1 किशनगढबास के यहां प्रस्तुत की गयी जो कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के आदेशानुसार वास्ते सुनवायी व निस्तारण हेतु इस न्यायालय में दिनांक 03.11.2023 को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में उक्त तलाक याचिका के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पक्षकारान हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। प्रार्थीया की बडी बहन अंजली की शादी दिनांक 09.05.2016 को ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास में संपन्न हुई थरी उसी दिन प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ प्रार्थीया की सहमति से उसके माता–पिता द्वारा संपन्न किया गया। विवाह के बाद प्रार्थीया केवल 2–3 बार ही अपने ससुराल गयी थी तथा दांपत्य संबंधों का निर्वहन किया गया तथा उसके

बाद अप्रार्थी प्रार्थीया से कहना लगा कि तू मुझे पसंद नहीं है, मैं तुझे नहीं रखूंगा तथा उसे माह अक्टूबर 2016 से बिना किसी कारण के उसके पीहर ग्राम कांकरा में छोड रखा है तथा अप्रार्थी कभी उसे लेने नहीं आया। अप्रार्थी द्वारा सन् 2016 से ही प्रार्थीया का परित्याग किया हुआ है। प्रार्थीया व उसके परिवार वालों ने अप्रार्थी से कानूनी रूप से तलाक लेने को कहा तो अप्रार्थी द्वारा दिनांक 30.08.2023 को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। प्रार्थना पत्र के लिए बिनायदावी व बिनाय मुखासमत दिनांक 30.08.2023 को पैदा हुई। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी से तलाक की डिक्री प्राप्त करना चाहती है। अतः विवाह दिनांक 09.05.2016 को विच्छेद किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को तलब किये जाने जाने हेतु तामील रजिस्टर्ड ए.डी. करायी जा चुकी है किंतु अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर **आदेशिका दिनांक 19.08.2025 के अनुसार अप्रार्थी प्रवीण कुमार के विरूद्ध एकपक्षपीय कार्यवाही अमल में लायी गयी,** जिससे मामले में विवाद्यक कायम नहीं किये जा सके।

4. प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य में निम्न गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गयी :—

एड.1	रजनी
एड.2	महावीर
एड.3	संतोष
एड.4	प्रकाश
एड.5	रोशनलाल

5. प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया :—

प्रदर्श—1ए	रजनी के आधार कार्ड की प्रति
प्रदर्श—2	शादी का कार्ड
प्रदर्श—3	डाक रसीद
प्रदर्श—4	रजिस्टर्ड लिफाफा
प्रदर्श—5	रजिस्टर्ड ए.डी
प्रदर्श—6	ट्रेक रिपोर्ट
प्रदर्श—7	शपथ पत्र बाबत तलाकनामा

6. बहस एकपक्षीय सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

गया। न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि :—

"आया पक्षकारान के मध्य अनुष्ठापित वैद्य विवाह दिनांक 09.05.2016 को विघटित किया जाकर एकपक्षीय रूप से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने योग्य है "

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का एकपक्षीय बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीया का विवाह उसकी बडी बहन अंजली के साथ दिनांक 09.05.2016 को ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास में संपन्न हुआ था जिसके बाद प्रार्थीया केवल 2—3 बार ही अपने ससुराल गयी थी तथा दांपत्य संबंधों का निर्वहन किया गया तथा उसके बाद अप्रार्थी ने प्रार्थीया से कहा कि प्रार्थीया उसे पसंद नहीं है और वह प्रार्थीया को नहीं रखेगा। अप्रार्थी द्वारा सन् 2016 से ही प्रार्थीया का परित्याग किया हुआ है। प्रार्थीया व उसके परिवार वालों ने अप्रार्थी से कानूनी रूप से तलाक लेने को कहा तो अप्रार्थी द्वारा दिनांक 30.08.2023 को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ नहीं रहने बाबत तलाकनामा शपथ पत्र बनवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 को स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य दिनांक 09.05.2016 को अनुष्ठापित वैद्य विवाह को विखंडित किया जाकर एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

09. सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका एवं इसके समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. विवाह विच्छेद याचिका के समर्थन में प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह एड.1 रजनी, एड.2 महावीर व एड.3 संतोष को पेश कर परीक्षित कराया गया है जिनमें तीनों साक्षियों ने एक ही स्वर में प्रार्थीया का विवाह उसकी बडी बहन अंजली के साथ दिनांक 09.05.2016 को ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास में संपन्न होना, विवाह के बाद प्रार्थीया का केवल 2—3 बार ही अपने ससुराल जाकर दांपत्य संबंधों का निर्वहन किया जाना, अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को पसंद नहीं किया जाना, दिनांक 22.06.2022 को अप्रार्थी द्वारा तलाकनामा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना, माह अक्टूबर 2016 से ही प्रार्थीया का परित्याग किया हुआ होने का कथन किया है। प्रार्थी की ओर प्रदर्श—1

लगायत प्रदर्श–6 दस्तावेज शपथपत्र के समर्थन में पेश किये हैं।

गवाह पी.ड–4 प्रकाश व पी.ड– 5 रोशनलाल ने अपनी साक्ष्य में किया है कि अप्रार्थी प्रवीण ने एक स्टांप सहमति पत्र दिनांक 24.06.2022 को कोर्ट परिसर भिवाडी में दोनों की उपस्थिति में यह लिखकर दिया था कि रजनी उसकी ब्याहता पत्नी है। वे एक दूसरे के साथ पति–पत्नी के तौर पर रहे। उनके आपसी विचारों का तालमेल नहीं हो पाया जिससे उनका मनमुटाव हो गया। गांव के व समाज के मौजूद लोगों के सामने शपथ पत्र तलाकनामा दिनांक 24.06.2022 को प्रवीण द्वारा लिखकर दिया कि वे आज से एक दूसरे से अलग रहना स्वीकार करते है, आज के बाद भविष्य में भी एक दूसरे से अलग–अलग रहेंगे और अप्रार्थी व प्रार्थीया आज के बाद किसी से शादी करते है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं रहेगी। गवाह पी.ड–4 की ओर से तलाकनामा शपथ पत्र प्रदर्श 7 अपने शपथ पत्र के समर्थन में पेश किया है।

11. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के समर्थन में परीक्षित कराये गये गवाहान एड.1 लगायत एड.3 क्रमशः रजनी, महावीर व संतोष ने अपनी सशपथ साक्ष्य से याचिका में वर्णित समग्र तथ्यों की पुष्टि की है तथा सभी साक्षीगण ने एक ही स्वर में प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 09.05.2016 को होने के तथ्य की पुष्टि की है। प्रार्थीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–2 विवाह का कार्ड व प्रदर्श–7ए तलाकनामा बाबत शपथ पत्र पेश कर प्रदर्शित कराया गया है, जिनके अवलोकन से प्रार्थीया के अप्रार्थी प्रवीण की पत्नी होने के तथ्य की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गयी उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी का दिनांक 09.05.2016 को विवाह होना एवं दोनो का पति–पत्नी होना प्रमाणित है। प्रार्थी ने हस्तगत याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में यदि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 का अवलोकन किया जाये तो इसमें यह प्रावधित किया गया है कि :–

<u>धारा–13 तलाक</u>–

(1) *कोई विवाह, भले वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी की ओर से पेश की गयी याचिका पर तलाक की आज्ञप्ति द्वारा इस आधार पर भंग किया जा सकेगा कि–*

(i) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपनी पत्नी या अपने

पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है, या

(ंक) विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीकार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है।

12. उक्त प्रावधानों के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका एवं उसकी ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाये तो गवाह एड.1 रजनी, एड.2 महावीर व एड.3 संतोष ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से प्रार्थी का विवाह उसकी बडी बहन अंजली के साथ दिनांक 09.05.2016 को ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास में संपन्न होकर प्रार्थीया का केवल 2–3 बार ही अपने ससुराल जाकर दांपत्य संबंधों का निर्वहन करने के लिए जाना, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को पसंद नहीं किया जाना व प्रार्थीया को यह बोलना कि वह उसे पसंद नहीं है, इसलिए वह उसको नहीं रखेगा तथा माह अक्टूबर 2016 से ही प्रार्थीया का परित्याग किया हुआ होना व दिनांक 22.06.2022 को अप्रार्थी द्वारा तलाकनामा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाने का अभिवचन किया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से प्रार्थीया द्वारा विवाह के पश्चात से ही अप्रार्थी के साथ आपसी मनमुटाव होना, अप्रार्थी द्वारा माह अक्टूबर 2016 से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थीया को अपने पीहर छोडकर चले जाना तथा उसी समय से आज तक अप्रार्थी द्वारा वैवाहिक जीवन का परित्याग किया जाना प्रमाणित है तथा प्रदर्श–7ए से स्पष्ट है कि अप्रार्थी प्रवीण द्वारा तलाकनामा शपथपत्र दिनांक 24.06.2022 इस आशय का लिखकर दिया गया है कि ''वह एक दूसरे से अलग रहना स्वीकार करता है, आज के बाद भविष्य में भी वे एक दूसरे से अलग–अलग रहेंगे और अप्रार्थी व प्रार्थीया आज के बाद किसी से शादी करते है तो उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी का विवाह दिनांक 09.05.2016 को संपन्न हुआ था तथा विवाह के पश्चात सन् 2016 से ही अप्रार्थी ने प्रार्थीया का परित्याग किया हुआ है। अप्रार्थी जो कि प्रार्थीया का पति था, वह प्रार्थीया के भरण पोषण, संरक्षण एवं देखभाल के लिए उत्तरदायी था, परंतु उसने अपने उक्त वैवाहिक व नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य भी क्रूरता की श्रेणी में आता है।

13. प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत याचिका एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य न्यायालय के

समक्ष पेश नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत की गयी उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पूर्ण रूप से अखंडित रहने के कारण इस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं रह जाता है। प्रार्थीया की ओर से प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजों व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के माह अक्टूबर 2016 से प्रार्थीया का परित्याग किया जाना तथा अप्रार्थी, प्रार्थीया को छोडकर अपने माता—पिता के पास अपने पीहर में रहना प्रमाणित है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थीया रजनी की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका विरूद्ध प्रवीण कुमार, अन्तर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम—1955 उपरोक्त विवेचनानुसार एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

——आदेश——

14. परिणामतः प्रार्थीया रजनी पत्नी प्रवीण कुमार पुत्री महावीर, उम्र 24 वर्ष निवासी कांकरा तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल—तिजारा की ओर से विरूद्ध अप्रार्थी प्रवीण कुमार पुत्र राजपाल उम्र 23 वर्ष निवासी मिलकपुर गुर्जर, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल—तिजारा, प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम—1955 एकपक्षीय रूप से स्वीकार की जाकर पक्षकारान के मध्य दिनांक 09.05.2016 को अनुष्ठापित वैद्य विवाह को विघटित किया जाकर विवाह विच्छेद किये जाने की घोषणा की जाती है। फलस्वरूप अब उनकी प्रास्थिति आज दिनांक 12.05.2026 से बतौर पति—पत्नी नहीं रहेगी। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। निर्णयानुसार नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(जगदीश प्रसाद मीना)

15. निर्णय आज दिनांक **12.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद मीना)